मंत्रपिरषिद की बैठक में लयि गए महत्त्वपूर्ण नर्णिय

चर्चा में क्यों?

30 दसिंबर, 2022 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रपिरषिद की बैठक में राज्य के अधकिारयिों-कर्मचारयिों के एनपीएस की राशवापस करने के केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का नर्णिय लेने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण नर्णिय लए गए।

प्रमुख बदिु

- कैबनिट की बैठक में राज्य के अधकिारयिों-कर्मचारयिों के एनपीएस की राशवापस करने के केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का नर्णिय लयिा गया।
    - इसके तहत शासकीय सेवकों को 1 अप्रैल, 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भवषि्य नधिकिा सदस्य माना जाएगा और 1 नवंबर, 2004 या उसके बाद नयिुक्त तथिसि 31 मार्च, 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जति लाभांश शासकीय कर्मचारी को एनपीएस नयिमों के तहत देय होगा।
    - कर्मचारयिों को राज्य शासन के अंशदान और उस पर अर्जति लाभांश जमा करने पर ही पुरानी पेंशन की पात्रता होगी। इसके लयि शासकीय सेवकों को एनपीएस के अंतर्गत पूर्ववत बने रहने अथवा पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने का वकिल्प नोटराईज्ड शपथ-पत्र में देना होगा। यह वकिल्प अंतमि और अपरविर्तनीय होगा।
    - शासकीय सेवक द्वारा पुरानी पेंशन योजना के वकिल्प लेने पर 1 नवंबर, 2004 से 31 मार्च, 2022 तक एनपीएस खाते में शासन द्वारा जमा कयि गए अंशदान एवं उस पर प्राप्त लाभांश को शासन के खाते में जमा करना होगा।
    - 1 अप्रैल, 2022 एवं उसके पश्चात् नयिुक्त होने वाले राज्य के शासकीय सेवक अनविार्य रूप से पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे।
- कैबनिट की बैठक में स्कूल भवनों की मरम्मत के लयि वशिेष योजना प्रारंभ करने का नर्णिय लयिा गया। इस योजना में कुल 780 करोड़ रुपए स्कूलों की मरम्मत में खर्च कयि जाएंगे।
- वाणज्यिकि वृक्षारोपण से पर्यावरण सुधार और कसिानों की आय में वृद्धकि लयि महत्त्वपूर्ण नर्णिय लेते हुए राज्य में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना प्रारंभ करने का नर्णिय लयिा गया।
- प्रदेश में मलिट्स मशिन कार्यक्रम के क्रयािन्वयन के संबंध में चर्चा की गई और राज्य में मलिट उत्पादन एवं उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लयि कृष, वन, सहकारतिा, पंचायत एवं ग्रामीण वकिास, स्कूल शकि्षा, अनुसूचति जातएिवं जनजातविकिास, खाद्य, महलिा एवं बाल वकिास, ग्रामोद्योग, संस्कृत, वाणज्यि एवं उद्योग, पर्यटन, जनसंपर्क, गृह एवं जेल, वाणज्यिकि कर तथा स्वास्थ्य एवं परविार कल्याण वभिाग द्वारा संयुक्त रूप से पहल की जाएगी।
- छत्तीसगढ़ अनधकिृत वकिास का नयिमतिकिरण (संशोधन) वधियेक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन कयिा गया।
- छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतषिध) वधियेक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन कयिा गया।
- अंतर्वभिागीय और अंतर्नकिाय से संबंधति केंद्र राज्य प्रवर्तति योजनाओं के क्लस्टर स्तर पर क्रयािन्वयन अनुश्रवण हेतु 5 नवीन ज़लिों में ज़लिास्तरीय एग्लोमरेशन एवं ज़लिास्तरीय समतिगिठन का नर्णिय लयिा गया।
- एंबुलेंस श्रेणी के वाहनों से जीवनकाल कर उद्ग्रहण हेतु छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधनियिम, 1991 में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन कयिा गया।
- वाहनों से अस्थायी पंजीयन कर में वृद्धकिय जाने हेतु छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधनियिम, 1991 एवं नयिम 1991 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन कयिा गया।
- राज्य के सभी ज़लिों में राज्य योजना के राशनकार्डधारयिों (एपीएल को छोड़कर) को फोर्टफिाईड चावल वतिरण करने का नर्णिय लयिा गया। इसमें 42 करोड़ रुपए की राशव्यिय होगी।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियिम, 2013 के अंतर्गत जारी राशनकार्डों में माह जनवरी 2023 से दसिंबर 2023 तक नःशुल्क खाद्यान्न वतिरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधनियिम, 2012 के अंतर्गत जारी अंत्योदय एवं प्राथमकिता राशनकार्डों में नःशुल्क खाद्यान्न वतिरण करने का नर्णिय लयिा गया।
- छत्तीसगढ़ औद्योगकि भूमएिवं प्रबंधन नयिम 2015 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन कयिा गया।
- वधिानसभा क्षेत्र क्रमांक 88 दंतेवाड़ा के माननीय वधिायक भीमा मंडावी की मृत्यु की घटना की न्यायकि जाँच का प्रतवेदन प्रस्तुत कयिा गया।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/important-decisions-taken-in-the-meeting-of-the-council-of-ministers-2